फाईल नं0-23-9002(002)/62/2021-9
संख्या-189/2022/आई0/1688/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2022**

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0-27 योजनान्तर्गत जनपद महोबा के 01 सेतु परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र संख्या-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/254/राज्य परियोजना विभाग/आरआइडीएफ-04/RIDF-XXVII/2021-22, दिनांक 03.01.2022 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-721/नाबार्ड(वर्ष 2021-22)/बी0एम0सी0/2021, दिनांक 04.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदानसंख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-27 योजनान्तर्गत जनपद महोबा के 01 ग्रामीण सेतु परियोजना के निर्माण के लिये कुल लम्बाई 79.88 मी0 व कुल लागत रू0 8,53,96,000/- (रूपये आठ करोड़ तिरपन लाख छियानबे हजार मात्र) (जिसमें नाबार्ड द्वारा अनुमोदित धनराशि में प्रस्तावित सेतुओं की मूल लागत पर इनबिल्ट चार्ज, कन्टीजेंसी, जी0एस0टी0, लेबर सेस, सेन्टेज चार्ज (12.50 प्रतिशत), भूमि अध्याप्ति की धनराशि सम्मिलित है), की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-18 के अनुसार रू0 4,26,98,000/-(रूपये चार करोड़ छब्बीस लाख अठ्ठानबे हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 336.42 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 90.56 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	सेतु की लम्बाई (मी0)	नाबार्ड को प्रेषित लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	इनबिल्ट चार्ज लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	कन्टीजेन्सी (कॉलम 5+6 का 1 प्रतिशत)	जी0एस0टी0 (कॉलम 5+6+7 का 12 प्रतिशत)	सेन्टेज (कॉलम - 5+6+7 का 12.50 प्रतिशत)	भूमि अध्याप्ति	योग (सेतु, पहुंच मार्ग भूमि अध्याप्ति सहित) कॉ)लम-5 से 10 तक का योग)	प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति	इन-इलीजीबिल कॉस्ट	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	राज्यांश (कॉलम 12-14)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
															अनु0-57	अनु 83-0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	महोबा	बिलराया-पनवाड़ी मार्ग)राज्य मार्ग सं0-21) के चैनेज सं0-	79.88	390.08	0.00	3.90	47.28	49.25	0.00	490.51	853.96	0.00	683.17	170.79	336.42	90.56	426.98
				289.04	0.00	2.89	35.03	36.49	0.00	363.45							
			योग	**679.12**	**0.00**	**6.79**	**82.31**	**85.74**	**0.00**	**853.96**							

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	सेतु की लम्बाई (मी0)	नाबार्ड को प्रेषित लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	इनबिल्ट चार्ज लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	कन्टीजेन्सी (कॉलम 5+6 का 1 प्रतिशत)	जी0एस0टी0 (कॉलम 5+6+7 का 12 प्रतिशत)	सेन्टेज (कॉलम - 5+6+7 का 12.50 प्रतिशत)	भूमि अध्याप्ति	योग (सेतु, पहुंच मार्ग भूमि अध्याप्ति सहित) कॉ)लम-5 से 10 तक का योग)	प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति	इन-इलीजीबिल कॉस्ट	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	राज्यांश (कॉलम 12-14)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
															अनु0-57	अनु 83-0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		442.10 से 448.680 तक 04 लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत जनपद महोबा में राठ-पनवारी मार्ग के किमी0-444 पर स्थित नकरा नाला पर दीर्घ सेतु एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।															

(1) विभाग वि (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) यदि प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्य का होगा।

(14) विभाग नाबार्ड शर्तों एवं योजना की गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(15) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) विभाग द्वारा वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक- 04 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(18) प्रश्नगत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो हेतु Third Party Quality Audit/Inspection प्रणाली एवं रोड सेफ्टी आडिट प्रणाली, विकसित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1850/23-12-17, दिनांक 22.11.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(19) मार्ग निर्माण कार्यों हेतु मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन एवं डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन व उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल आदि समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(20) कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(21) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(22) मार्ग सुरक्षा के प्राविधान आई0आर0सी0 कोड के अनुसार किये जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 3,36,42,000 (रुपये तीन करोड़ छत्तीस लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041013600 प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य(*2*) रुपये 90,56,000 (रुपये नव्वे लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892100 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-279-X-2022-23, दिनांक 05-12-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

<u>संख्या उपरोक्त तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, महोबा।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोबा।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
11- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
12- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
14- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.